IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 569 OF 2023

IN THE MATTER OF :

ALOK KUMAR ….Appellant

Versus

UNION OF INDIA & ORS. ….Respondent(s)

With

ORIGINAL APPLICATION NO. 275 OF 2023

IN THE MATTER OF:

MAHESH KUMAR ….Appellant

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ….Respondent(s)

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE.NO
1.	JOINT REPORT WITH THE ORDER PASSED BY THE HON'BLE TRIBUNAL DATED 12.03.2024	1-2
2.	A TRUE COPY OF THE DETAILED REPORT WITH THE MAP PHOTOGRAPHS IS ANNEXED HERE AS ANNEXURES,	3-14

THROUGH

Priyanka

PRIYANKA SWAMI

Advocate

Counsel for the State of U.P

Off- F-13, Jangpura Extension, New Delhi-110014

To,

The Registrar,

Hon'ble National Green Tribunal

Copernicus marg,

New Delhi

Subject: Joint report on behalf of Executive Officer to Hon'ble National Green Tribunal Order Dated 12.03.2024, passed in O.A No. 275 of 2023 (Mahesh Kumar vs. State of Uttar Pradesh) and O.A No. 569 of 2023 (Alok Kumar vs. State of Uttar Pradesh)

Sir,

That with the order dated 12.03.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in O.A No. 275 of 2023 (Mahesh Kumar vs. State of Uttar Pradesh) and O.A No. 569 of 2023 (Alok Kumar vs. State of Uttar Pradesh), the Compliance Joint Report on behalf Executive Officer of Irrigation Department, State of UP.

It is requested that you consider the said Joint Report as per the directions of the Hon'ble Tribunal-wide order dated 12.03.2024, this report has been prepared after the engagement of Survey of India and under their supervision, also there is a slight delay due to Lok Sabha Elections. Therefore, it is necessary for further consideration that this report may be taken on record before the Hon'ble Tribunal. That the prayer may be allowed. A true copy of the detailed report with the map photographs is annexed here as ANNEXURES,

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'bleTribunal may graciously be pleased to:

i. To direct the respondents to engage with the National Institute Roorkee Uttarakhand to complete the model study and physical demarcation of River Hindon and River Yamuna
ii. Pass any such other order as may deem fit.

Priyanka

THROUGH

ADV. PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
F- 13, Ground Floor, Jangpura Extension,
New Delhi- 110014

<u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 275/2023 महेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं 569/2023 आलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 के अनुपालन मे जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में यमुना नदी एव हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एव सीमांकन के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या ।</u>

मा0 एन0जी0टी0 मे विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 275/2023 महेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं 569/2023 आलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 के अनुपालन मे दिनांक 20.03.2024 को यमुना नदी एव हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एव सीमांकन का कार्य 01 माह में पूर्ण करने हेतु सर्वे आफ इण्डिया, देहरादून से अनुरोध किया गया। जिसके कम में दिनांक 21.03.2024 को श्रीमती बिन्दु मघट, सर्वे आफ इण्डिया द्वारा द्वारा हिण्डन नदी के सर्वे डेटा एवं सर्वे का क्षेत्रफल की जानकारी चाही गयी जोकि उसी कार्य दिवस में सर्वे आफ इण्डिया को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर दी गयी। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद द्वारा श्रीमती बिन्दु मघट, सर्वे आफ इण्डिया से दूरभाष पर दिनांक 22.03.2024 से दिनाक 02.04.2024 तक मैप उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरान्त दिनाक 03.04.2024 को सिचांई निर्माण खण्ड गाजियाबाद के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपरान्ह 03:00 बजे सिचाई विभाग के अधिकारियों एवं सर्वे आफ इण्डिया के अधीक्षण सर्वेक्षक व अन्य अधिकारियों के साथ टीम्स ऐप पर बैठक आयोजित गयी जिसमें अधिशासी अभियन्ता द्वारा सर्वे आफ इण्डिया के अधिकारियों को मा0 एन.जी.टी0. के पारित आदेश से अवगत कराते हुए यमुना एवं हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एवं सीमांकन मे सहयोग प्रदान कर मैप उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद द्वारा किये गये उक्त पत्राचार/दूरभाष पर वार्ता/टीम्स ऐप पर आयोजित बैठक पर सर्वे आफ इण्डिया द्वारा कोई संतोषजनक कार्यवाही न किये जाने पर दिनांक 05.04.2024 को मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिचांई एवं जल संसाधन विभाग, ओखला के द्वारा निदेशक सर्वे आफ इण्डिया, उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय, लखनऊ के कार्यालय में जाकर मा0 अधिकरण के उक्त आदेशों के कम में सिंचाई विभाग एवं सर्वे आफ इण्डिया, लखनऊ के अधिकारियों के साथ उनके सभागार कक्ष में बैठक की गयी। मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिचाई विभाग, उ0प्र0, ओखला द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों में हिण्डन व यमुना नदी के डूब क्षेत्र के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के कार्य को गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश 2016 {(भारत का राजपत्र संख्या 2458/2016/अश्विन 15, 1938 नई दिल्ली दिनांक 07.10.2016 के अनुरूप किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। (बैठक का कार्यवृत्त सलग्न)

जिस पर श्री राजीव नयनम, अधीक्षण सर्वेक्षक, सर्वे आफ इण्डिया द्वारा अवगत कराया गया कि उनके देहरादून कार्यालय में यमुना नदी के 01 मीटर इन्टरवेल का कण्टूर मेप (जिसकी उचाई में शुद्वता 50 से.मी. है) एवं हिण्डन नदी के 01 मीटर इन्टरवेल का कण्टूर मेप (जिसकी ऊचाई में शुद्वता 5.00 मी. है) उपलब्ध है। उपरोक्त दोनो नदियों के कण्टूर मेपों को कार्यालय सर्वे आफ इण्डिया, देहरादून से प्राप्त कर सिंचाई विभाग को 10 कार्य

दिवस में उपलब्ध करा दिये जायेगे। 10 दिवस व्यतीत होने के उपरान्त दिनांक 16.04.2024 को अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद द्वारा सर्वे आफ इण्डिया, लखनऊ के कार्यालय में यमुना नदी एवं हिण्डन नदी के कण्टूर मेप प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया जिसपर श्री राजीव नयनम, अधीक्षण सर्वेक्षक, सर्वे आफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध कराये गये हिण्डन नदी के क्षेत्र के कण्टूर मेप का अध्ययन करने पर पाया गया कि उपलब्ध कराये गये कण्टूर मेप पर अंकित कण्टूर त्रुटिपूर्ण है, मेप पर कण्टूर लाईन जिनका लेवल 209.000 मी, 210.000 मी., 211.000 मी0. था हिण्डन नदी को लम्बवत कास कर रही थी जबकि कण्टूर लाईन एवं हिण्डन नदी के कासिंग बिन्दु पर नदी का बेड लेवल लगभग 196.000 मी. तथा नदी के दोनो तरफ बैक पर ग्राउन्ड लेवल 203.000 मी है।

नदी के दोनो तरफ H.F.L के बिन्दु अंकित करने हेतु जिन कण्टूर की आवश्यकता थी वह कण्टूर मेप पर अंकित नहीं थे जिससे हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन को H.F.L एवं कण्टूर रेखा के माध्यम से चिन्हीकरण किया जाना सम्भव नहीं था। इस सम्बन्ध में श्री राजीव नयनम, अधीक्षण सर्वेक्षक, कृते निदेशक एवं श्री नितेश विश्वकर्मा, तकनीकी अधिकारी से वार्ता करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हिण्डन नदी क्षेत्र के उपलब्ध कराये गये मेप बहुत समय पूर्व कराये गये सर्वे के आधार पर 10 मी. इन्टरवेल के कण्टूर अंकित करते हुए तैयार किये गये है जिसपर 01 मी. इण्टरवेल की कण्टूर लाईन इन्टरपुलेशन के माध्यम से अंकित की गयी है जिस कारण मैप त्रुटिपूर्ण है। हिण्डन नदी क्षेत्र का त्रुटि रहित वांछित कण्टूर मैप दिनाक 23.04.2024 को उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में जनपद गौतमबुद्धनगर एव गाजियाबाद में हिण्डन नदी क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण करने की आवश्यकता होगी।

तत्कम में दिनाक 23.04.2024 को सहायक अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद एवं दिनाक 24.04.2024 को अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद द्वारा हिण्डन नदी क्षेत्र का मेप प्राप्त करने हेतु कार्यालय सर्वे आफ इण्डिया, लखनऊ में व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया जिसपर श्री राजीव नयनम, अधीक्षण सर्वेक्षक, कृते निदेशक एवं श्री नितेश विश्वकर्मा, तकनीकी अधिकारी द्वारा जनपद गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर में यमुना नदी क्षेत्र का 01 मी0 कन्टूर इन्टरवेल का मेप तथा हिण्डन नदी क्षेत्र का 5.00 मी कण्टूर इन्टरवेल उपलब्ध कराया गया।

जनपद गाजियाबाद व जनपद गौतमबुद्धनगर में यमुना नदी के डूब क्षेत्र के चिन्हीकरण व सीमांकन हेतु सर्वे ऑफ इण्डिया से 1 Meter Contour Interval Maps के लिये सम्पर्क किया गया, जो कि दिनांक 24.04.2024 को उपलब्ध कराया गया। ऊपरी यमुना मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 1963 से उपलब्ध फ्लड डाटा उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध फ्लड डाटा के आधार पर अधिकतम वाटर लेविल एवं डिस्चार्ज वर्ष 2023 में रिकार्ड हुआ। केन्द्रीय जल आयोग तथा सिंचाई विभाग के पास उपलब्ध ऑकड़ों के अनुसार अब तक का अधिकतम फ्लड वर्ष 2023 रिकार्ड हुआ तथा Log Pearson Method के अनुसार 100 वर्षो के फ्लड गणना के आधार पर ओखला बैराज के डाउन स्ट्रीम पर अधिकतम फ्लड लेविल 200.90 मीटर आगणित हुआ। उक्त H.F.L. के अनुसार सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध कराये गये नक्शों के आधार पर यमुना नदी का फ्लड प्लेन जोन जनपद गौतमबुद्धनगर में रिवर बैड स्लोप के अनुसार लगभग 30 किमी0 (कुल 75 किमी0 के सापेक्ष) का

चिन्हीकरण कर लिया गया है। अवशेष चिन्हीकरण शीघ्र पूर्ण कर सीमांकन हेतु सर्वे ऑफ इण्डिया को Shape File उपलब्ध करा दी जायेगी।

सर्वे आफ इण्डिया, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये मैप पर जनपद गाजियाबाद में हिण्डन नदी के फलड प्लेन जोन के चिन्हीकरण करने के दौरान निम्न समस्या सामने आयी।

- हिण्डन नदी जनपद गाजियाबाद में ग्राम मतोर पर प्रवेश कर गाजियाबाद क्षेत्र में 57 कि0मी0 लम्बाई में बहते हुए एन0एच0–24 से जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रवेश कर जाती हैं। जनपद गाजियाबाद में हिण्डन नदी का स्लोप 16 से.मी प्रति किलोमीटर है। ग्राम मतोर, गाजियाबाद से 5.00 कि0मी0 अपस्ट्रीम मे जनपद बागपत में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्थापित बलेनी गेज साईट निर्मित है जिसपर H.F.L 212.000 मी अंकित है। H.F.L एवं नदी के स्लोप के आधार पर ग्राम मतोर गाजियाबाद सीमा पर H.F,L 211.328 मी आंकलित किया गया। इसी प्रकार जनपद गाजियाबाद–गौतमबुद्धनगर सीमा से 04 कि.मी. अपस्ट्रीम में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित हिण्डन बैराज गेज साईट जिसपर H.F.L 205.390 मी अंकित है जनपद गाजियाबाद–गौतमबुद्धनगर सीमा पर H.F.L की गणना करने पर 203.646 मी. आता है।
- उक्त के दृष्टिगत जनपद गाजियाबाद में हिण्डन नदी क्षेत्र के उपलब्ध कराये गये मेप संख्या H43X5NE (सलग्नक) की 15 कि.मी. लम्बाई (ग्राम मतोर कि.मी. 103.000 से 15 कि.मी डाउन स्ट्रीम तक) में नदी के मध्य से दोनो तरफ प्रथम कण्टूर लाईन 215.000 मी. की अंकित है। नदी के मध्य से दोनो तरफ अंकित प्रथम कण्टूर लाईन 215.000 के मध्य (हिण्डन नदी का क्षेत्र) कोई भी कण्टूर उपलब्ध नही है। नदी की उक्त रीच में डूब क्षेत्र के चिन्हीकरण हेतु H.F.L 211.328 से 209.697 के बिन्दु नदी के दोनो तरफ अंकित किये जाने है, जिसके लिये कण्टूर लाईन 209.000 मी. से 212.000 मी. के मध्य की आवश्यकता होगी। चूकि नदी के मध्य से दोनो तरफ प्रथम कण्टूर 215.000 मी का है अतः उक्त रीच में मैप पर हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हीकरण किया जाना सम्भव नहीं है।
- जनपद गाजियाबाद में हिण्डन नदी क्षेत्र के उपलब्ध कराये गये मेप संख्या H43X5SE (सलग्नक) की 28 कि.मी. लम्बाई (कि.मी. 88.000 से कि.मी 60.000 तक) में नदी के मध्य से दोनो तरफ प्रथम कण्टूर लाईन 210.000 मी, 215.000 मी, एवं 220.000 मी की अंकित है। नदी के मध्य से दोनो तरफ अंकित प्रथम कण्टूर लाईन 210.000 के मध्य (हिण्डन नदी का क्षेत्र) कोई भी कण्टूर उपलब्ध नही है। नदी की उक्त रीच में डूब क्षेत्र के चिन्हीकरण हेतु H.F.L 209.423 से 206.510 के बिन्दु नदी के दोनो तरफ अंकित किये जाने है, जिसके लिये कण्टूर लाईन 205.000 मी. से 210.000 मी. के मध्य की आवश्यकता होगी। चूकि नदी के मध्य से दोनो तरफ प्रथम कण्टूर 210.000 मी का है अतः उक्त रीच में मैप पर हिण्डन नदी के फलड प्लेन जोन का चिन्हीकरण किया जाना सम्भव नहीं है।
- जनपद गाजियाबाद में हिण्डन नदी क्षेत्र के उपलब्ध कराये गये मेप संख्या H43X6NE (सलग्नक) की 15 कि.मी. लम्बाई (कि.मी. 60.000 से कि.मी 45.000 तक) में नदी के मध्य से दोनो तरफ प्रथम कण्टूर

लाईन 205.000 मी. 210.000 मी. एवं 215.000 मी की अंकित है। नदी के मध्य से दोनो तरफ अंकित प्रथम कण्टूर लाईन 205.000 के मध्य (हिण्डन नदी का क्षेत्र) कोई भी कण्टूर उपलब्ध नही है। नदी की उक्त रीच में डूब क्षेत्र के चिन्हीकरण हेतु H.F.L 206.510 से 203.646 के बिन्दु नदी के दोनो तरफ अंकित किये जाने है, जिसके लिये कण्टूर लाईन 200.000 मी. से 210.000 मी. के मध्य की आवश्यकता होगी। नदी की 11.000 कि.मी. लम्बाई (कि0मी0 60.000 से कि0मी0 49.000) मे कण्टूर 205.00 मी एवं 210.00 मी के उपलब्ध है इस रीच में नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हीकरण कर दिया गया है अवशेष 4.000 कि0मी0 लम्बाई (कि0मी0 49.000 से कि0मी0 45.000) के मध्य से H.F.L 203.966 से 203.646 के बिन्दु नदी के दोनो तरफ अंकित किये जाने है दोनो तरफ प्रथम कण्टूर 205.000 मी का है अतः उक्त रीच में मैप पर हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हीकरण किया जाना सम्भव नहीं है।

सर्वे आफ इण्डिया, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये मेप पर जनपद गौतमबुद्वनगर में हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण करने के दौरान निम्न समस्या सामने आयी।

- जनपद गौतमबुद्वनगर में हिण्डन नदी क्षेत्र के उपलब्ध कराये गये मेप संख्या H43X6SW, H43X10SW (सलग्नक) की 45 कि.मी. लम्बाई (कि.मी. 45.000 से कि.मी 0.000 तक) में 10 कि0मी0 लम्बाई में (कि0मी0 45.000 से 35.000) नदी के मध्य से दोनो तरफ प्रथम कण्टूर लाईन 210.000 मी अंकित है। नदी के मध्य से दोनो तरफ अंकित प्रथम कण्टूर लाईन 210.000 के मध्य (हिण्डन नदी का क्षेत्र) कोई भी कण्टूर उपलब्ध नही है। नदी की उक्त रीच में डूब क्षेत्र के चिन्हीकरण हेतु H.F.L 203.270 से 201.600 के बिन्दु नदी के दोनो तरफ अंकित किये जाने है, जिसके लिये कण्टूर लाईन 200.000 मी. से 205.000 मी. के मध्य की आवश्यकता होगी। अतः इस रीच में नदी का फ्लड प्लेन जोन का चिन्हीकरण किया जाना सम्भव नहीं है। कि0मी0 35.000 पर कण्टूर लाईन 200.000 मी की हिण्डन नदी को कास करती है जबकि हिण्डन नदी के इस बिन्दु पर नदी का बेड लेवल 190.452 मी है। कण्टूर 200.000 का हिण्डन नदी को लम्बवत कास करना मैप को त्रुटिपूर्ण दर्शाता है। अवशेष 35.000 कि0मी0 लम्बाई (कि0मी0 35.000 से कि0मी0 0.000 तक) मे प्रथम कण्टूर 200.000 मी का उपलब्ध है इस रीच में H.F.L 201.600 से 196.000 के बिन्दु नदी के दोनो तरफ अंकित किये जाने है दोनो तरफ प्रथम कण्टूर 200.000 मी का है अतः उक्त रीच में मैप पर हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हीकरण किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त के कम में अनुरोध कराना है कि सर्वे आफ इण्डिया, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया गया मैप अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण इन मैपों पर H.F.L के माध्यम से हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हीकरण किया जाना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में श्री राजीव नयनम, अधीक्षण सर्वेक्षक, कृते निदेशक एवं श्री नितेश विश्वकर्मा, तकनीकी अधिकारी को अवगत कराते हुए उनके मार्गदर्शन की वांछना की गयी जिसके कम मे उनके द्वारा अपने पत्र संख्या 1777/39–ED/दिनाक 24.04.2024 (संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया कि हिण्डन नदी क्षेत्र का 1.000 मी कण्टूर इन्टरवेल की वाछित Accuracy के डाटा के लिये नये सर्वे की आवश्यकता

होगी। श्री राजीव नयनम अधीक्षण सर्वेक्षक, कृते निदेशक द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया कि हिण्डन नदी क्षेत्र का नये सर्वे करने हेतु लगभग 03 माह के समय की आवश्यकता होगी।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पुनः अनुरोध कराना है कि हिण्डन व यमुना नदी के डूब क्षेत्र के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के कार्य को गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश 2016 {(भारत का राजपत्र संख्या 2458 2016 अश्विन 15 1938 नई दिल्ली दिनांक 07.10.2016 के अनुरूप किये जाने हेतु सर्वे आफ इण्डिया, लखनऊ के पत्र संख्या 1777 / 39–ED / दिनाक 24.04.2024 के अनुसार हिण्डन नदी क्षेत्र का 1 मी कण्टूर इन्टरवैल की वांछित Accuracy के डाटा के लिये नये सर्वे की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

(... कुमार सिंह)
Executive Engineer
Head Works [illegible] Agra Canal
Okhla [illegible] 110025

(राजकुमार वर्न)
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
गाजियाबाद

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

आज़ादी का अमृत महोत्सव

निदेशक का कार्यालय/Office of Director
भारतीय सर्वेक्षण विभाग/Survey of India
मानचित्र भवन/Manchitra Bhawan
उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय (उत्तरीक्षेत्र)
Uttar Pradesh G.D (Northern Zone)
5, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ -226010(उ0प्र0)
5, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)

टेली-फैक्स/Tele-fax – 0522-2720634
दूरभाष/Telephone-0522-2720638
ई-मेल@E-mail: up.gdc.soi@gov.in (Tech)
upgdc-lko@up.nic.in (Admn)

पत्र सं0 त- 1626 /39-ED

दिनांक: 10 /04/2024

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक,
उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ।

विषयः- <u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 275/2023 महेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं 569/2023 आलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 के अनुपालन मे यमुना नदी एव हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एव सीमांकन के सम्बन्ध में दिनाक 05.04.2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त</u>

उपरोक्त विषय के संबंध में हुई बैठक का कार्यवृत्त सलंग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

संलग्नः- यथोपरि।

Rajeev Nayan
(राजीव नयनम)
अधीक्षण सर्वेक्षक
कृते निदेशक

प्रतिलिपिः- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 275/2023 महेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं 569/2023 आलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 के अनुपालन मे यमुना नदी एव हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एव सीमांकन के सम्बन्ध में दिनांक 05.04.2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त ।

मा00 एन0जी0टी0 मे विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 275/2023 महेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं 569/2023 आलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 के अनुपालन मे यमुना नदी एव हिण्डन नदी के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण एव सीमांकन के सम्बन्ध में दिनांक 05.04.2024 का निदेशक, उ0प्र0 भू-स्थानिक निदेशालय, सर्वे आफ इण्डिया, लखनऊ के कायालय मे बैठक आहूत की गयी जिसमे निम्नलिखित अधिकारियो ने प्रतिभाग किया गया:-

1- श्री दिनेश कुमार पाण्डुवाल, मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिचांई एव जल संसाधन विभाग, उ00प्र0 लखनऊ।

2- श्री राजीव नयनम, अधीक्षण सर्वेक्षक, उ0प्र0 भू-स्थानिक निदेशालय,सर्वे आफ इण्डिया, लखनऊ।

3- श्री राजकुमार वर्न, अधिशासी अभियन्ता, सिचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

4- श्री **नीतेश** विश्वकर्मा, तकनीकी अधिकारी, उ0प्र0 भू-स्थानिक निदेशालय, लखनऊ।

5- श्री उमा शंकर यादव, अधिकारी सर्वेक्षक, उ0प्र0 भू-स्थानिक निदेशालय, लखनऊ।

6- श्री एन0पी0 सिह, सहायक अभियन्ता-प्रथम सिचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

बैठक मे सर्वप्रथम मा0 एन0जी0टी0 मे विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 275/2023 महेश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं 569/2023 आलोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 के सम्बन्ध मे चर्चा हुई। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 का सारवान अंश निम्नवत है:-

6. The issue before us is to prevent encroachment on the flood plain, stop unauthorized constructions, prevent illegal mining, stop discharge of effluents and ensure that the integrity of River Yamuna is maintained with its free flow. Keeping in view the above objectives and the definition provided in the Ganga Rejuvenation Notification dated 07.10.2016 for the flood plain zone and keeping in view the reflected constrains for this matter at this stage, we are of the opinion that 1: 25000 scale map with 10 meter and 20 meter contour can be sufficient. If any specific construction and development is to be taken up then, micro scale contour interval of 1 meter or 0.5 meter can be considered at a later stage by concerned departments.

7. Since as per the report of the Irrigation Department, Government of Uttar Pradesh has consulted SoI and has obtained their opinion, we are of the view that, SoI which is a national reputed surveying agency, be engaged for demarcation of the floods plain zone of Yamuna and Hindon as per Ganga Rejuvenation Notification dated 07.10.2016.

8. Accordingly, we direct the Government of Uttar Pradesh to consider to engage SoI and complete the flood plain demarcation for Yamuna and Hindon falling within the State within a period of one month.

9. List this matter on 29.04.2024.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा हिण्डन व यमुना नदी के डूब क्षेत्र के चिन्हीकरण एवं सीमांकन का कार्य 01 माह में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है। मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिचाई विभाग, उ0प्र0, ओखला द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के आदेशों में हिण्डन व यमुना नदी के डूब क्षेत्र के चिन्हीकरण एवं सीमांकन के कार्य को गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश 2016 {(भारत का राजपत्र संख्या 2458/2016/अश्विन 15, 1938 नई दिल्ली दिनांक 07.10.2016 के अनुरूप किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। जिसका सारवान अंश निम्नवत है:-

"3 (एल) बाढ़ मैदान" का अर्थ गंगा नदी व उसकी उपनदियों के ऐसे क्षेत्र से है जो इसके अधिकतम प्रवाह के संगत बाढ़ अथवा 100 वर्ष में एक बार आने वाली बाढ़ के समान बाढ़ के कारण दोनो ओर जल के अंदर आ जाता है।"

क्रमश पृष्ठ 02 पर.......

(2)

अधिशासी अभियन्ता सिचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि हिण्डन नदी की कुल लम्बाई 371 कि0मी0 है जिसमें जनपद गाजियाबाद में 57 कि0मी0 लम्बाई में तथा गौतमबुद्वनगर में 45.200 कि0मी0 लम्बाई मे बहती है। वर्तमान मे सिचाई विभाग के पास जनपद गाजियाबाद एव गौतमबुद्वनगर में हिण्डन एव यमुना नदी का HFL उपलब्ध है।

अधीक्षण सर्वेक्षक, उ0प्र0 भू–स्थानिक निदेशालय, सर्वे आफ इण्डिया,लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि यमुना नदी एव हिण्डन नदी चिन्हीकरण एव सीमाकन हेतु नदी के तटवर्ती क्षेत्र के Contour मैप की आवश्यकता होगी। जिसके आधार पर दोनों नदियों का चिन्हींकरण एवं सीमांकन सिचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यालय द्वारा किया जा सकेगा। वर्तमान मे उ0प्र0 भू–स्थानिक निदेशालय, सर्वे आफ इण्डिया, लखनऊ कार्यालय मे यमुना नदी के एक मीटर इन्टरवल (जिसकी शुद्धता 50 सेन्टीमीटर है) का Contour मैप उपलब्ध है एव हिण्डन नदी के 1 मीटर इन्टरवल का Contour मैप उपलब्ध है जिसकी शुद्धता 5 मीटर है। उपरोक्त दोनो तरह के Contour मैपों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून कार्यालय से मंगाया जायेगा। यह अवगत कराया गया कि दोनो तरह के Contour मैप 10 कार्यदिवसों में उपलब्ध करा दिये जायेगें। उपरोक्त दोनो क्षेत्र के Contour मैप के आधार पर सिचाई एवं जल संशोधन विभाग द्वारा दोनों नदियों के फ्लड जोन का चिन्हींकरण एवं सीमांकन किया जा सकता है।

मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिचाई विभाग, उ0प्र0, ओखला द्वारा अनुरोध किया गया कि Contour मैप शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाये ताकि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनाक 12.03.2024 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आख्या प्रत्येक दशा मे नियम तिथि से पूर्व मा0 अधिकरण को प्रेषित की जा सके। जिस पर अधीक्षण सर्वेक्षक, उ0प्र0 भू–स्थानिक निदेशालय सर्वे आफ इण्डिया,लखनऊ एवं अन्य अधिकारियों द्वारा Contour मैप सिचाई विभाग को उपलब्ध कराने की सहमति प्रदान की गयी।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Rajeev Nayan
(राजीव नयनम)
अधीक्षण सर्वेक्षक,
सर्वे आफ इण्डिया, लखनऊ

पत्राकः– 1626 /बैठक /दिनाक 10 .04.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1– प्रमुख सचिव, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0 शासन, लखनऊ
1– मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, ओखला।
2– जिलाधिकारी, गौतमबुद्वनगर।
3– जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
4– अधिशासी अभियन्ता, हैडवर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला
5– अधिशासी अभियन्ता, सिचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।

Rajeev Nayan
(राजीव नयनम)
अधीक्षण सर्वेक्षक,
सर्वे आफ इण्डिया, लखनऊ

QUESTIONNAIRE TO BE FILLED UP BY DEPARTMENTS/ INDENTORS REQUESTING FOR PROJECT SURVEYS FROM SURVEY OF INDIA

A. TECHNICAL

1	a) Name of Project b) Title of map	Flood Plain Demarcation of Hindan river for 100yrs of return period.
2	Purpose of survey(A briefdescription giving background andexecution including expansion schemes, ifany should be mentioned)	" " " "
3	Have any surveys been done by the Project Authorities for the Project?	No
4	Scale of final map required.	—
5	Contour Interval. Also indicate if larger contour interval isacceptable if the terrain does not permit depiction of contour at the required interval.	—
6	Whether contours are required to be shown in dry river beds and islands. If so, at what interval and in which areas?	—
7	Area of survey (in sqkms/ Hectares) KML/shape file to be provided by indenting authority	— N.A.
8	a) Map details to be emphasized, e.g.building blocks, roads etc b) Items of details in which the indentorisparticularly interested	(a) Flood Plain Zone (b) " " "
9	Items or details which can be omitted e.g.administrative/ village/forest boundaries.vegetation/ cultivation limits, wells, spring,telegraph/telephone lines. power/ pipe lines,isolated huts, land holdings etc. (Note :- Omission of unnecessary details reduces cost and speeds up theproduction of maps)	—
10	Details of final deliverable desired like map print quantity, soft copy of data etc.	Flood Plain Zone demarcation on ground with in month as per NGT order
11	Period by which maps are required.	100 yrs of Return Period
12	Is fixing of Bench Marks/Control Pointsrequired? Full specifications including intervaland accuracy in position/height should be supplied. B.Ms/pillarswill have to be erected by theindentor before the survey is taken up	—
B.	FINANCIAL	
1	Are adequate funds available for survey? Also state in which financial year they can be utilized I. Has the approval of the competent authority been obtained?	yes, 2023-2024 yes.

II.	To whom, the Cost Estimates are to be submitted for the payment? **In advance and in full.**	ICD, Ghaziabad. (Irrigation department U.P. Govt Jal Shakti Ministry)
	Designation and address of indenting officer to whom printed maps are to be supplied	ICD, Ghaziabad, Shastri Nagar.
	C. ADMINISTRATIVE	
1	Is the area of survey approachable by motor transport?	yes
2	Communication facilities in the area whether jeepable roads exist, if not, what other means oftransport are available and what are their normalrates of charges per km/day (trucks. carts, camels, ponies, porters) (Note: In case of river areas, indicate themode of river crossing etc.)	yes
3	Can department provide labourers for assistance in field work and motor transport forconveyance of personnel/stores in the area of work?	NO
4	What are modes of nearest postal communication in the area. Name of nearest post office/ telegraph office, Inspection Bungalows. RH, petrol pumpsand banking facility may be indicated	–
5	Is any jungle clearing necessary? If so, canyour department help with men? (Note: Also state whether permission for jungle clearing has been obtained from the concerned authorities)	yes, NO
6	Is local labour available in the area?	–
7	Do wild animals frequent the area? If so, whatprotective measures are necessary?	–
8	In case the area is politically disturbed cansecurity personnel be arranged from the localGovernment/ authority'?	–
9	Are any special preventive measures necessaryagainst diseases such as Malaria, Kala-azar etc	–
10	Is any medical help available in the area? Name ofthe nearest hospital/ dispensary should also begiven	–
	D.MISCELLANEOUS	–
1.	Other special requirements/information, if any	–

Vandana 21/03/2023

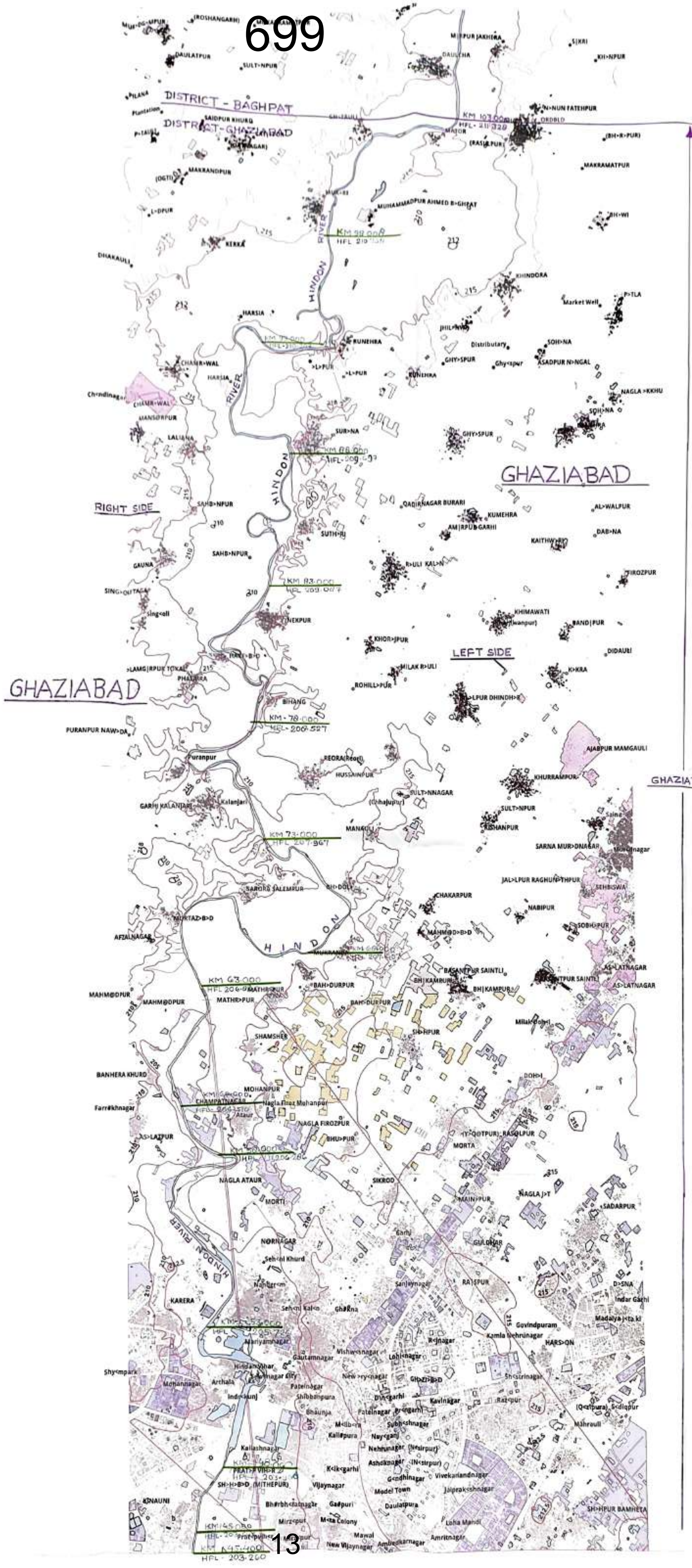
DISTRICT - BAGHPAT
DISTRICT-GHAZIABAD
GHAZIABAD
RIGHT SIDE
LEFT SIDE
GHAZIABAD
HINDON
RIVER
HINDON
HINDON RIVER
KM 98.000
KM 73.000
KM 63.000
HFL - 203.200
KHINDORA
RUNEHRA
NEKPUR
KHURRAMPUR
AJABPUR MAMGAULI
CHAKARPUR
NABIPUR
MAHMOOPUR
BANHERA KHURD
NAGLA ATAUR
KARERA
SIKROD
MORTA
Market Well
Distributary
Plantation

जनपदः- गौतमबुद्धनगर

हिण्डन नदी

कि0मी0 0.000 से कि0मी0 45.400 तक